# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

53

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2018/2254 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.02.2018 पारित द्वारा आयक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 268/अपील/2017-18.

---

1. झब्बूलाल आ. नन्दलाल गोली
2. सालकराम आ. नन्दलाल गोली
3. देवमन आ. नन्दलाल गोली
4. भगवानदास आ. नन्दलाल गोली

क्र.-2 लगायत 4 द्वारा
मुख्त्यारआम झब्बूलाल आ. नन्दलाल गोली
सभी निवासी जडिया, तहसील भैंसदेही,
जिला बैतू, म.प्र. ..............आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ................अनावेदक

---

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश शर्मा, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

---

## :: आ दे श ::

**(आज दिनांक 6/3/19 को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 22.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा ग्राम जड़िया तहसील भैंसदेही स्थित भूमि खसरा नंबर 233 रकबा 0.482 हैक्टेयर तथा भूमि खसरा नंबर 234 रकबा 0.313 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख वर्ष 2007-2008 में आवेदकगण के संयुक्त नाम पर अभिलिखित है। उक्त भूमि

के खसरा वर्ष 2007-08 में ख.नं. 233 के कैफियत कॉलम में सागौन 35 वृक्ष, सतकटा 12 वृक्ष दर्ज हैं तथा ख.नं. 234 में सागौन 20 तथा सतकटा के 11 वृक्ष अंकित हैं। दिनांक 18.07.2008 को विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार, भीमपुर को प्राप्त सूचना अनुसार भ्रमण के दौरान मोहदा रेंज ऑफिस के सामने सागौन लट्ठे से भरे 5 ट्रक खड़े पाये गये, जिसे नायब तहसीलदार द्वारा जप्त किया जाकर प्र.क्र. 101/बी-121/2007-08 दर्ज कर प्रकरण में मौका निरीक्षण उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 20.07.2008 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया कि, जांच के दौरान स्थल पर कुल 60 काटे गये सागौन के वृक्ष के ठूठ पाये गये, जिसमें खसरा नंबर 235/1 बड़े झाड के जंगल शासकीय भूमि में 49 ठूंठ, ख.नं. 273 भूमिस्वामी दुरपति बेवा नंदलाल गोली की भूमि पर 09 ठूंठ, खसरा नंबर 272 भूमिस्वामी परसराम वल्द नीला गोली की भूमि पर 01 ठूंठ तथा ख.नं. 272 एवं 235/1 भूमिस्वामी एवं शासकीय भूमि मेड़ पर 01 ठूंठ स्थल पर पाये गये। 09 सागौन के वृक्षों की कटाई वैध पाई गई तथा 51 वृक्षों की कटाई स्वीकृत योजना के विरूद्ध पाई गई। उक्त 51 वृक्षों में से 49 सागौन के वृक्ष शासकीय भूमि बड़े झाड़ का जंगल मद से काटे गये हैं। अतः उचित कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर, जिला बैतूल को प्रेषित किया गया, जो कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख, बैतूल के ज्ञाप क्र. 1623 दिनांक 31.07.2008 से अनुविभागीय अधिकारी, भैंसदेही को संहिता के प्रावधानों तथा म.प्र. लोक वानिकी अधिनियम 2001 एवं म.प्र.लोक वानिकी नियम 2002 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्र.क्र. 02/अ-73/08-09 दर्ज कर आदेश दिनांक 08.04.2009 पारित किया गया। अनावेदिका दुरपतिबाई बेवा नंदलाल गोली द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर, जिला बैतूल के समक्ष प्रस्तुत की गई। कलेक्टर द्वारा दिनांक 20.10.2010 को अपील स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया तथा अंतिम आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी की ओर प्रत्यावर्तित किया गया, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनः आदेश दिनांक 13.07.2012 पारित किया गया। आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा प्रकरण क्र. 234/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2012 के माध्यम से अपील कलेक्टर, जिला बैतूल के समक्ष प्रस्तुत होने की टीप सहित आवेदकगण को वापस की गई। तत्पश्चात् दुरपतिबाई द्वारा प्रथम अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई। कलेक्टर द्वारा कार्यवाही उपरांत अंतिम आदेश दिनांक 15.03.2016 पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 13.07.2012 स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई। फलस्वरूप आवेदकगण द्वारा कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष

प्रस्तुत की गई, जो कि आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 22.02.2018 से अपील अस्वीकार की जाकर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा गया। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालयों ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि आवेदकगण द्वारा विधिवत् तरीके से अपने स्वामित्व की भूमि पर लगे सागौनों को कटवाने हेतु अनुमति प्राप्त किये जाने बावत् मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 2001 के अंतर्गत आवेदन पत्र उपरोक्त वर्णित भूमि के खसरा पांच सालाना, नक्शा आदि की नकल संबंधित पटवारी से लेकर संबंधित तत्कालीन पटवारी धन्नू घूमरकर से प्राप्त खसरों का मौके पर सीमांकन कर चूने की लाईन डालकर कृषक व पंचगणों की उपस्थिति में किया गया था। प्रबंध योजना 149 वृक्षों की थी, जिसको संबंधित वन अधिकारियों के द्वारा मौका निरीक्षण कर स्वीकृति प्राप्त करते हुए वृक्ष कटाई की गई थी, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं थी, की ओर भी ध्यान देते हुए विधि विरूद्ध तरीकेसे उनके विरूद्ध प्रकरण तैयार करते हुए उनकी लकडी व ट्रक को राजसात करने के विवादित आदेश पारित किये गये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2) योजना की स्वीकृति वन मंडल पश्चिम बैतूल के आदेश क्र./व्यय/जेएफएम/103/बैतूल दिनांक 07.06.2008 से प्रथम कटाई में नियमानुसार 60 वृक्षों को काटने की अनुमति दी गई, जो अभिलेख से प्रमाणित है, इसके पश्चात् भी इस विधिक तथ्य की ओर ध्यान न देते हुए विवादित आदेश पारित किये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि आवेदकगण द्वारा क्षेत्र के अंदर कटाई करवाकर हेमर की व परिवहन की मांग 316 नग सागवान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो कि प्रस्तुत सूची व मौके पर मिलान उपरांत वन मंड पश्चिम बैतूल के आदेश क्र. रा.लं. 2104 दिनांक 26.06.2008 से हेमरिंग व परिवहन की अनुमति प्रदान की गई। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(4) कृषक 17.07.2008 को ग्राम जडिया से लोक वानिकी कृषक की लकड़ी 05 ट्रकों से भरवाकर ट्रक मौके पर खड़े करवाकर संबंधित कृषक सूचियां लेकर मोहदा कार्यालय में टीपी लेने आया। इसी दौरान टीपी नंबर देने वाला तथा ट्रकों को मोहदा परिक्षेत्र कार्यालय में लाने का निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये जाने के आधार पर नईम खान चौकी प्रभारी पिपरिया एवं श्री जासताव वन परिक्षेत्र अधिकारी मोहदा द्वारा ट्रकों को जप्त कर मोहदा

परिक्षेत्र कार्यालय के सामने खड़ा करवा लिया गया एवं जारी टीपी क्र. 1665/22 निरस्त कर दी, जो आवेदकगण के विरूद्ध द्वेषपूर्ण कार्यवाही की इस आधार पर ही आवेदकगण की अपील स्वीकार किये जाने योग्य थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस ओर ध्यान न देते हुए विवादित आदेश पारित किये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(5) दिनांक 18.07.2008 को नायब तहसीलदार द्वारा उक्त 05 ट्रकों की जप्ती की गई, जिसका अधिकार उक्त नायब तहसीलदार को नहीं था। इस कार्यवाही के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 2/73/08-09 मौजा जडिया दर्ज किया गया। इस आवेदकगण के विरूद्ध दिनांक 08.04.2001 को विवादित आदेश पारित किया गया कि म.प्र. लोक वानिकीय अधिनियम 2001 नियम 10 की धारा 8 के तहत 1,00,000/- रू. अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है, जिसकी जानकारी आवेदकगण को होने पर उसके द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष एक अपील पेश की, जिसका प्रकरण क्र. दर्ज कर उसमें दिनांक 20.10.2010 को आवेदकगण की अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तन करने का आदेश दिया गया एवं निर्देश दिये गये बाद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तन पश्चात् पुनः विवादित आदेश दिनांक 13.07.2012 पारित कर पूर्व आदेश दिनांक 08.04.2009 को दोहराया, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन आदेशों को स्थिर रखते हुए विधिक बिंदुओं की ओर ध्यान न देते हुए आदेश पारित किये गये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) कलेक्टर द्वारा अपने पत्र क्र. 10/अ-73/12-13/3984 बैतूल दिनांक 29.05.2014 एवं 02.06.2014 के द्वारा तहसीलदार को किये गये आदेश से स्पष्ट है कि ट्रक में प्राप्त सागवान भूमिस्वामी आवेदक की ही है, जो उसके स्वामित्व के ही काटे गये हैं, यह तथ्य भलीभांति प्रमाणित है। पंचनामा दिनांक 27.06.2014 से स्थिति एकदम स्पष्ट है।

(7) अनुसूची 2 (नियम 5(6) देखिये) (प्रारूप 3 के साथ पठित) में कंडिका क्र. 04 में स्पष्ट वर्णित है कि "पातन हेतु वृक्षों का चिन्हांकन संबंधित परिक्षेत्र सहायक के द्वारा किया जावेगा।" एवं इस मामले में भी चिन्हांकन वन विभाग के द्वारा किया गया, उसके बाद ही कटाई की गई। इस तथ्य की ओर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया और सीमांकनों को परस्पर आपस में विरोधाभाषी मानते हुए तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 26.06.2014 में प्रस्तुत प्रतिवेदन की ओर भी ध्यान न देते हुए, आदेश की औपचारिकतायें निभाते हुए स्वेच्छाचारी आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(8) एस.डी.ओ. फारेस्ट के द्वारा तहसीलदार को एक पत्र 07.10.2008 को लिखा है। इस पत्र से सम्पूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई ध्यान नहीं देकर जो विवादित आदेश पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है, जिस पर भी आयुक्त द्वारा ध्यान न देते हुए आवेदकगण की अपील निरस्त करने की भूल की है। इसलिए आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(9) जब जप्तशुदा ट्रकों को नहीं छोड़ा गया, तब ट्रक स्वामियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष एक रिट याचिका क्र. 13152/2008 मध्यप्रदेश शासन वनविभाग के सचिव, कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट, डिवीजनल ऑफ फारेस्ट बैतूल, रेंज ऑफिसर मोहदा, वनविभाग एवं नायब तहसीलदार के विरूद्ध पेश की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2009 को पारित आदेश के पैरा 15 में निम्न टीप उल्लेखित है- "The facts of the present case disclose that trucks of the petitioners were hired by one smt. Durpati who had in her possession a valid sanction to cut 60 teak trees standing her land. The trees were then cut in presence of forest officials who also supervised the loading thereof in respective trucks. These trucked were admittedly to be taken to the depot at Mohda, which is at the distance 17 Kms. The transit pass were prepared and in the process thereof the trucks were taken to Mohad. It can not therefore be gathered from these facts that there was any connivance for committing a forest offence."

(10) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.2009 को पारित आदेश के पैरा 16 के अनुसार "All these activities were carried out under the supervision of forest officer who where present on the spot. I.e. in village Jadiya. Therefore, it can not be said that the petitioners were unauthorizedly carrying away the forest produce as would invite a forest offence under section 5 of the Act of 1969."

(11) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.2009 को पारित आदेश के पैरा 17 के अनुसार "therefore, in considered opinion of this Court no offence can be said to have been made out under section 5 of the Act of 1969 as would entitle the respondents to proceed with the confiscation of the petitioners seized trucks."

(12) अधीनस्थ न्यायालयों ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया था कि लकड़ी की कटाई व ढुलाई आदि सभी कार्यवाही वन विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की उपस्थिति में की गई है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी पुनः सीमांकन करवाकर

इस बात की पूर्ण तसल्ली की जा चुकी है, अब इसके बाद प्रकरण में कुछ शेष नहीं रह जाता है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा सात दिवस में लिखित तर्क भी पेश करने का निवेदन करते हुए मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि आयुक्त, कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। दिनांक 20.07.2008 को स्थल प्रतिवेदन के साथ कटे वृक्षों की वस्तुस्थिति को दर्शाते हुए जो नक्शा तैयार किया गया है, उससे स्पष्ट है कि अवैध कटाई सीमांकन की त्रुटि के कारण नहीं हो सकती, क्योंकि वृक्ष आवेदकगण के खेत से बहुत दूर शासकीय खसरा नंबर 235/1 से काटे गए हैं, जो आवेदक के कुल भूमि से कई गुना क्षेत्र में यह काटे गये वृक्ष स्थित थे। जिससे स्पष्ट है कि वृक्ष जानबूझकर व योजनाबद्ध तरीके से काटे गये थे। वर्ष 2013 व 2014 में किए गये सीमांकन व पंचनामा से भी यह सिद्ध है कि खसरा नंबर 235/1 से अवैध तरीके से वृक्ष काटे गये हैं। इस प्रकार स्थल निरीक्षण तथा नप्ती में स्पष्ट रूप से कटे पेड़ शासकीय भूमि से काटे जाना प्रमाणित है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13.07.2012 को जो आदेश पारित किया गया है, वह वैधानिक एवं उचित है, जिसकी पुष्टि कलेक्टर एवं आयुक्त द्वारा भी की गई है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं होने से उनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर